

246

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक

/2016 जवलपुर

दिनांक 3639-I-16

संजीव बरकडे पिता श्री तुलसीराम बरकडे ,
निवासी 463 म.न. 405 से 537 कबीर मार्ग ,
दयानंद सरस्वती वार्ड , तहसील व जिला जवलपुर
म0प्र0 । ..आवेदक

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
2. हेमन्त जैन पिता श्री दुलीचन्द्र जैन, निवासी एच
79 एच0आई0जी0 कालोनी , धनवन्तरी नगर
तहसील व जिला जवलपुर म0प्र0 ।

.....अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क
90/अ-21/2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन
निगरानी

माननीय महोदय

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम घाटपिपरिया प0ह0न0 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 287 रकवा कमशः 0.650 है0 (1.60एकड) भूमि आवेदक की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विक्रय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती , बाजार का कर्ज चुकाने हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्रय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे ।



R
1/12

सुनील सिंह पासी
20-10-16

836
20-10-16

20-10-16

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3639/1/2016

जिला-जवलपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 20.10.16 | <p>यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 03-10-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम घाटपिपरिया प.ह. नं. 39 रा.नि.मं.बरगी , तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 287 रकबा 0.650 है 0 उबड -खाबड होने एवं अन -उपजाउ होने से भूमि को विक्रय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क्र 90/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जवलपुर को भेजा गया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच उपरांत प्रकरण क्र 70/अ-21/15-16 दर्ज कर विधिवत जांच की गई एवं जांच प्रतिवेदन हेतु नायब तहसीलदार बरगी से जांच कराई जाकर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई परन्तु उसके उपरांत भी कलेक्टर महोदय द्वारा विक्रय की अनुमति प्रदान न ही जाकर प्रकरण लम्बित रखा गया है। जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ।</p> <p>3- निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने</p> | |

R
1/2

तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4- आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 287 रकवा 0.650 हे. के विक्रय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि एम.बी.बी.एस. डॉक्टर होने के कारण अति व्यस्तता होने से उक्त भूमि की देखभाल नहीं करने के कारण भूमि अनुपयोगी होने से विक्रय करना चाहता है। उसके पास विक्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त मोजा घाटपिपरिया में ख.न. 306 रकवा 0.10 हे. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विक्रय की जाने वाली भूमि के विक्रय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एवं भूमि विक्रय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बनायेगा इसलिये भूमि विक्रय का प्रयोजन भी सदभावना पर आधारित है जिसके कारण विक्रय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है, एवं पटवारी हल्का नंबर 39रा0नि0मं0 बरगी द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में भूमि विक्रय सदभावना पर माना है। एवं नायब तहसीलदार बरगी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-08-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि -

(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा 165(7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

1/12


(2) विधे का निर्वचन-का सिद्धात --नदीन उपबंध का अंतःस्थापन --भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया --ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2) दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)-धारा 165(7-ख) सरकारी पट्टेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये --भूमि का विक्रय कर सकता है -- कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 90/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्राम घाटपिपरिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं.बरगी , तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 287 रकवा 0.650है0 है0 के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1-भूमि का कय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।
- 2-भूमि का कय -विक्रय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।
- 3-केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

P. 114


सदस्य